**राजस्थान सरकार**
**गोपालन विभाग**

**<u>अधिसूचना</u>**

**एफ.वी.3( )निगो/गोपनसु/मुं.मं.ब.घो./गो.अधि. नियम 2016 जयपुर दिनांक :—21 नवम्बर 2016**

राज्य सरकार एतदद्वारा गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि का गठन करती है तथा निधि के संचालन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

**1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ.**- (1) ये नियम राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 कहलायेंगे।

(2) ये नियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं.**- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) **"निधि"** से आशय इन नियमों के अधीन गठित राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि है;

(ii) **"राज्य सरकार"** से आशय राजस्थान सरकार से है;

(iii) **"गौशाला"/"नंदीशाला"** से आशय राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 या राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 या तत्समय प्रर्वत विधि के अधीन पंजीकृत गौशालाओं या जिला स्तरीय गोपालन समिति द्वारा अनुमोदित ऐसी संस्था से है जिसके द्वारा गौशाला/नंदीशाला का संचालन किया जा रहा हो;

(iv) **"कांजी हाउस"** से आशय राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत स्थापित एवं संचालित कांजी हाऊस से है;

(v) **"वित्तीय वर्ष"** से आशय 01 अप्रेल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि से है;

(vi) **"वित्त विभाग"** से आशय राजस्थान सरकार के वित्त विभाग से है;

(vii) **"सलाहकार समिति"** से आशय ऐसी समिति से है जो निधि के उपयोग के लिए सलाह, अनुशंसा, मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करेगी; और

(viii) **"आरक्षित कोष"** से आशय नियम 10 में गठित आरक्षित कोष से है।

**3. निधि के गठन के उद्देश्य.**- निधि के गठन के निम्न उद्देश्य हैः—

(i) गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पालन—पोषण, विकास कार्यो एवं योजनाओं में सहयोग करना;

(ii) गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रदेश की गौशालाओं तथा कांजी हाउस में स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियों का निर्माण तथा उत्पादन इकाईयों/योजनाओं हेतु सहयोग देना; और

(iii) गौशालाओं एवं कांजी हाउस में आवासित गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आर्थिक सहयोग देना।

**4. निधि के आय के स्त्रोत.**- निधि के आय के निम्न स्त्रोत होंगेः—

(i) राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 3—ख के तहत स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार से प्राप्त राशि;

(ii) निधि के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनो से प्राप्त राशि;

(iii) किसी व्यक्ति, औद्योगिक एवं धर्मार्थ संस्था से गौसंरक्षण एवं संर्वधन प्रयोजन के तहत प्राप्त राशि; और

(iv) निधि के उद्देश्यों के लिए अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि।

**5. निधि का प्रबन्धन एवं संचालन.**- निधि का प्रबन्धन एवं संचालन राजस्थान का गोपालन विभाग करेगा।

**6. सलाहकार समिति एवं उसके कार्य.**- (1) निधि की धनराशि के उपयोग हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नांकित सलाहकार समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः—

| | | |
|---|---|---|
| (i) | अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कृषि विभाग | सदस्य |
| (ii) | अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| (iii) | अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग | सदस्य |
| (iv) | अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग | सदस्य |
| (v) | अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग | सदस्य |
| (vi) | अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग | **सदस्य सचिव** |
| (vii) | महानिदेशक, पंजीयन एवं मुद्रांक | सदस्य |
| (viii) | निदेशक, पशुपालन विभाग | सदस्य |
| (ix) | निदेशक, गोपालन विभाग | सदस्य |

आवश्यकता होने पर सलाहकार समिति में राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अन्य सदस्य भी जोडे जा सकेंगे।

(2) सलाहकार समिति के निम्न कार्य होंगेः—

(i) गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन तथा पालन—पोषण हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता राशि का निर्धारण करना;

(ii) गौशालाओं/कांजी हाउस में गौवंश के पालन—पोषण हेतु सहायता राशि की दर, अवधि तथा वितरण प्रक्रिया का निर्धारण करना;

(iii) निधि से स्वीकृत राशि के उपयोग की समीक्षा करना एवं प्रदत्त सहायता के पर्यवेक्षण, प्रबन्धन हेतु आवश्यक दिशा—निर्देश अनुमोदित करना; और

(iv) पांच करोड की राशि से अधिक लागत के कार्य/योजना जिला गोपालन समिति की अनुशंषा पर स्वीकृत करना।

(3)समिति द्वारा प्रति तीन माह में कम से कम एक बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जायेगी।

**7. निधि का उपयोग.**- निधि का उपयोग निम्न प्रयोजनों के लिए किया जायेगाः–

(i) गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन से सम्बन्धित विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु;

(ii) गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रदेश की गौशालाओं, कांजी हाउस में स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियों का निर्माण/उत्पादन इकाईयों/योजनाओं हेतु सहायता राशि स्वीकृत करने हेतु;

(iii) गौशालाओं, कांजी हाउस में आवासित गौवंश के पालन–पोषण के लिए सहायता राशि प्रदान करने हेतु;

(iv) निधि में प्राप्त आय की एक प्रतिशत राशि गोपालन विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु खर्च की जा सकेगी; और

(v) निधि का उपयोग उन सभी अनुज्ञेय व्ययों पर किया जायेगा जो कि गोपालन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायेंगे परन्तु निधि का उपयोग निम्न कार्यों पर नहीं किया जा सकेगाः–

(क) भूमि एवं वाहन क्रय;
(ख) बिजली बिल;
(ग) कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं मानदेय;
(घ) पुराने बकाया दायित्वों का भुगतान;
(ड) ब्याज का भुगतान; और
(च) फर्नीचर, ए.सी. एवं भवन मरम्मत।

**8. निधि के उपयोग की प्रक्रिया.**- (1) गोपालन विभाग निधि से सहायता के लिए विभागों से प्राप्त प्रस्तावों को सलाहकार समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा तथा व्यय राशि का हिसाब समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(2) निधि से सहायता प्राप्त करने की शर्तों, आवेदन, स्वीकृति एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र से संबंधित प्रपत्रों एवं प्रक्रिया का निर्धारण गोपालन विभाग द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

(3) प्रत्येक गौशाला द्वारा प्राप्त सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से कम से कम दो पदाधिकारियों के हस्ताक्षर शुदा मय पद की रबर मुहर, प्रस्तुत किया जावेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही सहायता की अगली किश्त जिला स्तरीय गोपालन समिति के अनुमोदन पश्चात जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा जारी की जावेगी।

**9. जिला स्तरीय गोपालन समिति एवं उसके कार्य.**- (1) प्रत्येक जिले में एक गोपालन समिति होगी जिसके सदस्य निम्नानुसार होगेः–

| | | |
|---|---|---|
| (i) | जिला कलक्टर | अध्यक्ष |
| (ii) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद | सदस्य |
| (iii) | कोषाधिकारी | सदस्य |
| (iv) | जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग | सदस्य सचिव |
| (v) | जिला उप निदेशक, कृषि | सदस्य |

(2) समिति के निम्नलिखित कार्य होंगेः—

(i) जिला स्तर पर गौशालाओं/कांजी हाऊस से प्राप्त प्रस्तावों पर भौतिक सत्यापन के पश्चात सहायता राशि की स्वीकृति जारी किये जाने का अनुमोदन करना;

(ii) गौशालाओं/कांजी हाऊस से उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त करना;

(iii) विशेष परिस्थितियों में गौसंरक्षण एवं गौसंवर्धन हेतु सहायता राशि के प्रस्ताव एवं अनुशंषा गोपालन विभाग, राजस्थान जयपुर को अग्रेषित करना; और

(iv) आरक्षित कोष में से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करना।

**10. आरक्षित कोष का गठन एवं उपयोग.**- (1) निधि की दस प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष वर्षा अभाव, अकाल, चारा दुर्भिक्ष एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता के प्रयोजन हेतु रखी जाकर राज्य स्तर पर एक आरक्षित कोष बनाया जायेगा।

(2) ऐसे जिले जिनमें वर्षा का अभाव रहा है या चारा संकट है परन्तु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के मापदण्डों के अनुसार अभावग्रस्त, अकालग्रस्त या आपदाग्रस्त घोषित नहीं किये गये है उन जिलों में निधि को गौवंश संरक्षण, संवर्धन एवं पालन—पोषण के प्रयोजन हेतु उपयोग में सलाहकार समिति के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

(3) आरक्षित कोष के तीन वर्षो तक निरंतर अनुपयोजित (Unutilized) रहने पर उक्त निधि के पचास प्रतिशत तक की राशि को गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन की अन्य योजनाओं पर सलाहकार समिति की अनुमति से खर्च किया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक जिले में नव गठित दो सौ पशुओं की नंदीशाला, बीमार एवं निराश्रित गौवंश की संस्था को सहायता देना।

**11. निधि से लाभान्वित होने वाली पात्र संस्थाएं.**- निधि से लाभान्वित होने के लिए निम्न संस्थाएं पात्र होंगीः—

(i) गौशाला;

(ii) कांजी हाऊस;

(iii) नंदीशाला; और

(iv) विशेष परिस्थितियों में जिला स्तरीय गोपालन समिति से अनुमोदित/ अनुशंषित गौशाला/नंदीशाला ।

**12. संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता हेतु पात्रता की शर्ते.**- आर्थिक सहायता प्राप्त होने के लिए आवश्यक है कि,—

(i) संस्था में न्यूनतम दो सौ गौवंश रखना अनिवार्य होगा तथा दो वर्ष पुराना पंजीयन होना चाहिए;

(ii) संस्था में गौवंश की नस्ल सुधार एवं बधियाकरण हेतु सहमति देनी होगी;

(iii) संस्था द्वारा संधारित गौवंश की पहचान हेतु टैग लगाना अनिवार्य होगा;

(iv) संस्था द्वारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत पकड़े गये पशुओं की सुपुर्दगी पर लेने से इन्कार नहीं किया हो;

(v) संस्था द्वारा सूचना एवं प्रोद्योगिकी की आधुनिक प्रणाली को अपनाते हुए डाटा का संधारण कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से करना होगा;

(vi) संस्था द्वारा वृद्ध एवं बीमार पशुओं के लिए उचित चिकित्सा व्यवस्था करनी होगी एवं मृत पशुओं का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से करना होगा;

(vii) संस्था द्वारा विगत दो वर्षो की सी.ए. द्वारा ऑडिट रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार, गौशाला के यहाँ प्रस्तुत करनी होगी;

(viii) संस्था को पूर्व में दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा;

(ix) संस्था द्वारा अपनी आय के समस्त स्त्रोतों का विवरण संस्था के प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना होगा अर्थात उक्त आय धार्मिक ट्रस्ट, कॉर्पोरेट हाउस या दानदाताओं से प्राप्त होती है अथवा अन्य उत्पाद जैसे दूध, गोबर, गौमूत्र, खाद, घी, छाछ इत्यादि के विक्रय से होती है;

(x) संस्था के स्वामित्व एवं क्षेत्राधिकार में स्थित अचल सम्पत्ति यथा भूमि, भवन इत्यादि का सम्पूर्ण विवरण मय दस्तावेज आवेदन के समय प्रस्तुत करना होगा;

(xi) गौशाला में अनियमितता पाये जाने पर दी जाने वाली सहायता राशि निरस्त / स्थगित की जा सकेगी;

(xii) प्रत्येक संस्था को एक पृथक इकाई के रूप में माना जाकर ही सहायता राशि देय होगी; और

(xiii) संस्था द्वारा अन्य आवश्यक शर्ते जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावे की पालना की जायेगी।

**13. ऑडिट रिपोर्ट.**- प्रत्येक गौशाला को सी.ए. से प्रतिवर्ष ऑडिट कराना आवश्यक होगा तथा वार्षिक बैलेन्स शीट एवं ऑडिट रिपोर्ट संबंधित जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रस्तुत करनी होगी।

**आज्ञा से,**

**(कुंजी लाल मीना)**
**शासन सचिव**
**पशुपालन एवं गोपालन विभाग**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–**

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय,राजस्थान जयपुर ।
2. सचिव,माननीय मुख्यमंत्री महोदया,राजस्थान जयपुर ।
3. विशिष्ठ सहायक,माननीय मंत्री महोदय,गृह विभाग ।
4. विशिष्ठ सहायक,माननीय मंत्री महोदय,पशुपालन,मत्स्य,एवं गोपालन विभाग ।
5. विशिष्ठ सहायक,माननीय मंत्री महोदय,सहकारिता विभाग ।
6. विशिष्ठ सहायक,माननीय राज्य मंत्री महोदय, गोपालन विभाग ।
7. वरिष्ठ शासन उप सचिव,मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर ।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव ।
9. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान ।

10. आयुक्त कृषि विभाग राजस्थान जयपुर।
11. महानिदेशक,पंजियन एवं मुद्रांक अजमेर।
12. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
13. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
14. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान ।
15. निदेशक पशुपालन विभाग राजस्थान जयपुर।
16. निदेशक,गोपालन विभाग राजस्थान जयपुर
17. निदेशक,सूचना एवं सम्पर्क राजस्थान जयपुर ।
18. निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज0जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
19, समस्त, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजस्थान।
20. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव
पशुपालन एवं गोपालन विभाग